42–(08)–15–2021

पटना में दिनांक–19 अप्रील, 2021 सोमवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	परिवहन विभाग	
1.	वाहनों के मनपसंद (Choice) निबंधन संख्या को वाहन विक्रेता द्वारा अधिक से अधिक वाहन स्वामियों को बिक्री किये जाने हेतु प्रोत्साहित करने एवं एक निश्चित संख्या में इसकी बिक्री कराये जाने पर वाहन विक्रेताओं को प्रोत्साहन राशि (Incentive) दिये जाने हेतु बिहार मोटरगाड़ी (यथासंशोधित) नियमावली, 1992 के नियम–64 के उपनियम–4 को प्रतिस्थापित किये जाने के संबंध में।	1. स्वीकृत।
	वित्त विभाग	
2.	बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2022 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 8732.10 करोड़ (आठ हजार सात सौ बत्तीस करोड़ दस लाख) रूपये करने के संबंध में।	2. स्वीकृत।
	उद्योग विभाग	
3.	मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प ज्ञापांक 782 दिनांक 17.05.2018 एवं संकल्प ज्ञापांक 204 दिनांक 04.02.2020 में संशोधन का प्रस्ताव।	3. स्वीकृत।
	गृह विभाग (आरक्षी शाखा)	
4.	नालंदा जिला के राजगीर थानान्तर्गत नेचर सफारी ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–96 (छियानवे) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	4. स्वीकृत।
	सामान्य प्रशासन विभाग	
5.	श्री नरेन्द्र नाथ, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 766/11, अधिसूचित वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी, को "सेवा से बर्खास्तगी" का दण्ड दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।	5. स्वीकृत।
	वित्त विभाग	
6.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य सरकार द्वारा 30,702.10 करोड़ रूपये बाजार ऋण सहित 36,273.43 करोड़ रूपये की सकल (Gross) ऋण उगाही तथा 27,179.00 करोड़ रूपये के निवल (Net) ऋण उगाही की स्वीकृति।	6. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

7. राज्य के महिलाओं के बीच उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु रू० 200.00 करोड़ (दो सौ करोड़ रूपये) की स्वीकृति के संबंध में। 7. **स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

8. राज्य के युवाओं के बीच उद्यमिता/स्व–रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना हेतु रू० 200.00 (दो सौ) करोड़ की स्वीकृति के संबंध में। 8. **स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

9. बिहार कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) नियमावली, 2010 के अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अतिथि गृहों/परिसदनों के सुगम संचालन हेतु परिचारी (रसोईया) के 151 (एक सौ इक्यावन) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 9. **स्वीकृत।**